



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-37()परावि/प्रशा2./मंत्रा/स्था-प्रथम/2019/2622 जयपुर दिनांक:-24/12/2020


::आदेश ::

निम्नलिखित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का स्थानान्तरण निम्नानुसार किया जाते है:-

क्र.सं.	नाम	पदनाम	कहाँ से	कहाँ को
1.	रमाकान्त शर्मा	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति लाडपुरा (कोटा)	पंचायत समिति, सांगोद (कोटा)
2.	चेन सिंह	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति, मकराना (नागौर)	जिले की अन्य पंचायत समिति
3.	सुरेश कुमार	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	पंचायत समिति दांतारामगढ, सीकर	पंचायत समिति पलसाना, सीकर


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।

1. उक्त सूची में यह सुनिश्चित किया जावे कि स्थानान्तरण/पदस्थापन सही नाम से है।
2. यदि कोई कार्मिक माननीय न्यायालय/ अधिकरण द्वारा पारित स्थगन आदेश की पालना में कार्यरत है। तो ऐसे कार्मिक का स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया जावे।
3. यदि किसी कार्मिक की परीविक्षाधीन अवधि समाप्त नहीं हुई है तो ऐसे कार्मिक का पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश जारी नहीं किया जावे।
4. यदि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण किसी अन्य कार्मिक के स्थान पर किया जा रहा है, तो प्रभावित कार्मिक को अन्य निकटतम पंचायत समिति में पदस्थापित किया जावे।


(विजयपाल सिंह-II)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-I

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सहायक, संयुक्त सचिव (एलटी), माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग राजस्थान जयपुर।
3. एसीपी मुख्यालय, जयपुर को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने बाबत।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सम्बन्धित।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सम्बन्धित।
6. सम्बन्धित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, द्वारा जिला परिषद/पं.स.।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव-I